

संघ विधान पत्र - संस्था के उद्देश्य

1. संस्था का नाम = इस संस्था का नाम = **SETH GYANIRAM BANSIDHAR PODAR COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION NAWALGARH**

(सेठ ज्ञानीराम बंसीधर पोदार कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन नवलगढ़) संस्था है व रहेगा I

2. पंजीकृत कार्यालय = इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय... नवलगढ़ तथा कार्यक्षेत्र... (झुंझुनू जिला)
क्षेत्र तक सीमित होगा

संस्था के उद्देश्य = इस संस्था के निम्नांकित उद्देश्य है :

1. इस संस्था के सदस्य पोदाराइट्स के नाम से जाने जाएंगे
2. पोदाराइट्स के एक साथ मिलने तथा अपने अनुभवों को बांटने हेतु उपयुक्त मंच उपलब्ध करवाना
3. सेठ ज्ञानीराम बंसीधर पोदार कॉलेज नवलगढ़ के वर्तमान विद्यार्थियों के साथ अपनी उपलब्धियों, सफलताओं एवं अनुभवों को बांटना
4. पारस्परिक एवं मातृ संस्था के प्रति अपनत्व का भाव पैदा करना
5. उच्च उपलब्धि धारकों एवं सफल पूर्व छात्रों को सम्मानित करना
6. प्रकाशन एवं अनसंधान को प्रोत्साहित करना
7. देश विदेश में रह रहे पूर्व छात्रों का एक डाटाबेस तैयार करना तथा उनके नेटवर्क संबंध को मजबूत बनाना
8. छात्र हित संवर्धन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उनके उपयुक्त रोजगार प्राप्ति में मदद करना
9. संस्था के विकास हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना
10. अन्य सूजनात्मक कार्य जो पूर्व एवं वर्तमान छात्रों के भविष्य निर्माण में सहायक हो

“उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है”

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष


अध्यक्ष
President
Podar College Alumni Association
Nawalgarh


मन्त्री
Secretary
Podar College Alumni Association
Nawalgarh


कोषाध्यक्ष
Treasurer
Podar College Alumni Association
Nawalgarh

Signature valid


Digitally signed by Sandeep Sharma
Designation: REGISTRAR
Date: 2021-08-11 10:56:09 IST
Reason: Approved
Location: Jhunjhunu



4. सदस्यता :- निम्न व्याख्याता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-
- 1- संस्था के कार्य श्वेत्र में निवास करते हों।
 - 2- चालिंग हों।
 - 3- पागल, दीवालिये न हों।
 - 4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
 - 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।
5. सदस्यों का वर्गीकरण :- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-
- 1- संरक्षक
 - 2- विशिष्ट
 - 3- सम्माननीय
 - 4- साधारण
(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)
6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :- उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-
- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| 1- संरक्षक | राशि... 2100 | वार्षिक/आजन्म |
| 2- विशिष्ट | राशि... 1100 | वार्षिक/आजन्म |
| 3- सम्माननीय | राशि... 500 | तार्षिक |
| 4- साधारण | राशि... 365 | वार्षिक |
- उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. एक मुश्त
- की मासिक की दर से जमां कराई जा सकती।
7. सदस्यता से निष्कासन :- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकता :-
- 1- मृत्यु होने पर
 - 2- त्याग-पत्र देने पर
 - 3- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
 - 4- प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

15


अध्यक्ष
President
Podar College Alumni Association
Nawalgadh


मन्त्री
Secretary
Podar College Alumni Association
Nawalgadh


कानूनीयक्ष
Treasurer
Podar College Alumni Association
Nawalgadh


Signature valid

Digitally signed by Sandeep Sharma
Designation: REGISTRAR
Date: 2021-08-11 10:56:09 IST
Reason: Approved
Location: Jhunjhunu



<p style="text-align: center;">उक्त प्रकार के निकासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अनिम होगा।</p>	
8. साधारण सभा:-	संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य निलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।
9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :-	<p>साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे : -</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना। 2- वार्षिक बजट पारित करना। 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना। 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत सेविधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)
10. साधारण सभा की बैठकें :-	<ul style="list-style-type: none"> 1- साधारण सभा की बैठक में एक बैठक अविवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अव्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी। 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणाये विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे। 5- संस्था के 1/3 अधिकार 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय बैथानिक व सर्वमान्य होंगे।

16

 अध्यक्ष President Podar College Alumni Association Nawalgam	 मन्त्री Secretary Podar College Alumni Association Nawalgam	 कार्याध्यक्ष Treasurer Podar College Alumni Association Nawalgam
--	---	---

Signature valid

Digitally signed by Sandeep Sharma
 Designation: REGISTRAR
 Date: 2021-08-11 10:56:09 IST
 Reason: Approved
 Location: Jhunjhunu



11. कार्यकारिणी
का गठन :-

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन
किया जावेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक
2. उपाध्यक्ष-एक
3. मन्त्री-एक
4. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदस्य-सत्र

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें।
कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 5 पदाधिकारी व

..... 2 सदस्य कुल 7 सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का
निर्वाचन :-

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा
द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/आप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के
अधिकार और कर्तव्य :-

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

1- सदस्य बनाना/नियुक्ति करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना
व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

17


अध्यक्ष
President
Podar College Alumni Association
Nawalgarh


मन्त्री
Secretary
Podar College Alumni Association
Nawalgarh


कोषाध्यक्ष
Treasurer
Podar College Alumni Association
Nawalgarh

Signature valid

Digitally signed by Sandeep Sharma
Designation: REGISTRAR
Date: 2021-08-11 10:56:09 IST
Reason: Approved
Location: Jhunjhunu



4. संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार समिति को सौंपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं।

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	रविंद्र कुमार पुरेश ५०० सुरभ भानु पुरेश	सिनेमाल भालक	पैथ उपकार्य ट्राईड नवलगढ़ ८६	अध्यक्ष
2	संजय कुमार सेनी डॉ अ०	बाल्यापक	कुंजनकुमा० नवलगढ़ ८६	उपाध्यक्ष
3	योगेन्द्र प्रभा० ३० मोहरा	व्यवसाय	बा० बड़ी गाँ० नवलगढ़ ८६	सचिव
4	विनोद कुमार सेनी डॉ अ०	अध्यापन	छोटाबाई कै० नवलगढ़ ८६	सचिव
5	श्रीष्टा इमा० ३० महावीरप्रसाद	वकालत	जॉनेट अध्यात्म के पाल नवलगढ़ ८६	उप सचिव
6	किम सिंह जास्त ३० रामकरण सिंह जास्त	अध्यापन	मुकन्द ८६	कार्यालय सुदूर
7	आशोष ज्ञाना० डॉ. कृष्णलाल	अधिकारी	मंडीगाँ० नवलगढ़ ८६	कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष


अध्यक्ष
President
Podar College Alumni Association
Nawalgadh

सचिव


मन्त्री
Secretary
Podar College Alumni Association
Nawalgadh

कोषाध्यक्ष


कोषाध्यक्ष
Treasurer
Podar College Alumni Association
Nawalgadh

Signature valid

Digitally signed by Sandeep Sharma
Designation: REGISTRAR
Date: 2021.08.11 10:56:09 IST
Reason: Approved
Location: Jhunjhunu



14. कार्यकारिणी की बैठकों :-
- 1- कार्यकारिणी की बैठकों में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
 - 2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
 - 3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
 - 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणायी विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्टा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1-अध्यक्ष :

- 1- बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 2- मत बराबर आने पर निर्णयिक मत देना।
- 3- बैठकें आहूत करना।
- 4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- 5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।


2-उपाध्यक्ष :

- 1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- 2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :

- 1- बैठकें आहूत करना।
- 2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

18


अध्यक्ष
President
Podar College Alumni Association
Nawalgarh


मन्त्री
Secretary
Podar College Alumni Association
Nawalgarh


कार्याध्यक्ष
Treasurer
Podar College Alumni Association
Nawalgarh

Signature valid

Digitally signed by Sandeep Sharma
Designation: REGISTRAR
Date: 2021-08-11 10:56:09 IST
Reason: Approved
Location: Jhunjhunu



- 3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
- 5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- 6- पत्र व्यवहार करना।
- 7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :

- 1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
- 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष :

- 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
- 2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
- 3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
- 4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :-

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

- 1- चन्दा
- 2- शुल्क
- 3- अनुदान
- 4- सहायता
- 5- राजकीय अनुदान

- 1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
- 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

19

अध्यक्ष

President
Podar College Alumni Association
Nawalgarh

मन्त्री

Secretary
Podar College Alumni Association
Nawalgarh

कोषाध्यक्ष

Treasurer
Podar College Alumni Association
Nawalgarh

Signature valid

Digitally signed by Sandeep Sharma
Designation: REGISTRAR
Date: 2021.08.11 10:56:09 IST
Reason: Approved
Location: Jhunjhunu



17. कोष सम्बन्धी
विशेषाधिकारी :-

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी
संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे : -

1-अध्यक्ष 31,000 रु.

2-मन्त्री 21,000 रु.

3-कोषाध्यक्ष 11,000 रु.

उपरोक्त राशि का अनुगोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अकेशक
की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।

रेक्षण :-

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेशण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार
संस्थाएँ को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान
में परिवर्तन :-

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3
बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की भाग 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का
विघटन :-

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति
समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यबाही
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की भाग 13 व 14 के अनुरूप होगी।
रजिस्ट्रार संस्थाएँ को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे
का निरीक्षण :-

रजिस्ट्रार संस्थाएँ को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच
करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि डूक विधान (नियमावली) SETH GYANIRAM BANSIDHAR PODAR
ALUMNI ASSOCIATION NAWALGARH भारतीय/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष

मन्त्री


कोषाध्यक्ष


मन्त्री

Secretary
Podar College Alumni Association
Nawalganj


कोषाध्यक्ष

Treasurer
Podar College Alumni Association
Nawalganj


अध्यक्ष
President
Podar College Alumni Association
Nawalganj

Signature valid

Digital signature by Sandeep Sharma
Designation: REGISTRAR
Date: 2021-08-11 10:56:09 IST
Reason: Approved
Location: Jhunjhunu

